न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली
पीठासीन अधिकारी : आशाराम डूडी, आर.ए.एस.

अपील संख्या : 26 / 2017

अपीलांट

उदा पुत्र भगाजी जाति माली उम्र 55 वर्ष निवासी जालोर बी तहसील व जिला जालोर।

रेस्पोडेन्टस्

बनाम

1. मकना पुत्र भगाजी
2. वगता पुत्र भगाजी
3. वागा पुत्र भगाजी
4. भैरा पुत्र भगाजी
5. जगीया पुत्र भगाजी
6. वगता पुत्र भगाजी
7. भीका पुत्र रता जी तमाम जातियान माली निवासी जालोर बी तहसील व जिला जालोर।
8. लुम्बाराम पुत्र नेनाराम जाति माली निवासी हनुमान नगर जालोर तहसील व जिला जालोर।
9. श्रीमती हीरोदवी पत्नी हंसाराम जाति माली निवासी जालोर तहसील व जिला जालोर।
10. श्रीमती पवनी देवी पत्नी बाबूलाल जी जाति माली निवासी राजेन्द्र नगर जालोर तहसील व जिला जालोर।
11. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार जालोर।

राजस्व अपील प्राधिकारी पाली

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थित :–

1. श्री सुरेश सोंलकी, विद्वान अभिभाषक अपीलाण्ट
2. श्री सिकन्दर अली सैयद विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट संख्या 01, 04 व 07
3. शेष रेस्पोडेन्ट बावजूद सूचना अनुपस्थित
4. राजकीय अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट संख्या 11 की ओर से

–: निर्णय :–

दिनांक : 29-03-2019

अपीलाण्ट्स की ओर से यह अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत विरूद्ध रेस्पोडेन्ट्स के प्रस्तुत कर सहायक कलक्टर जालोर द्वारा राजस्व वाद संख्या 44 / 2012 में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 29.06.2016 को अपास्त कराने का निवेदन किया। अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्ट्स को जरिये सम्मन तलब किया तथा अधीनस्थ न्यायालय का रेकर्ड तलब किया तथा उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस सुनी गई।

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

विद्वान अभिभाषक अपीलाण्ट ने अपनी बहस में कथन किया कि रेस्पोडेन्ट संख्या 01 द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अपीलांट एवं रेस्पोडेन्टगण के विरूद्ध दावा बाबत बंटवाडा धारा 53 एवं 188 के तहत प्रस्तुत किया। उक्त दावे को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दर्ज किया जाकर सम्मन जारी किये गये। उसके पश्चात दावे को राजस्व लोक अदालत न्याय आपके द्वार कैम्प लेटा में पेशी नियत कर जैर अपील निर्णय व डिक्री पारित की गई है। अधीनस्थ न्यायालय में जारी नोटिस अपीलांट को तामिल नही हुए। रेस्पोडेन्ट संख्या 01 द्वारा अपीलांट का फर्जी अगूंठा निशान लगवाकर वकालतनामा पेश करवा दिया गया जबकि अपीलांट द्वारा पैरवी हेतु कोई वकील नियुक्त नहीं किया गया था। इस कारण से अपीलांट अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष जवाब प्रस्तुत नहीं कर पाये एवं अपीलांट का जवाब अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष वादपत्र में बंद कर दिया गया। उसके पश्चात पत्रावली कायमी तनकीयात में मुकर्रर की गई। इसी दौरान अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त पत्रावली न्याय आपके द्वार कैम्प में नियत कर बिना अपीलांट को सुनवाई का अवसर दिये जैर अपील निर्णय व डिक्री पारित की गई है। जो कि विधिसम्मत नहीं है। अत अपील अपीलांट स्वीकार फरमावे एवं जैर अपील निर्णय व डिक्री अपास्त की जाकर पत्रावली रिमांड की जावे।

वकील रेस्पोडेन्ट द्वारा बहस करते हुए निवेदन किया कि रेस्पोडेन्ट संख्या 01 द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष धारा 53 व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत दावा प्रस्तुत कर वादग्रस्त आराजी के संबध में बंटवाडे का अनुतोष चाहा, जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जैर अपील निर्णय व डिक्री पारित की गई है। हस्तगत प्रकरण में अपने कथनो के समर्थन में रेस्पोडेन्ट द्वारा जमाबंदी संवत 2060 से 2070 की फोटो प्रति, नक्शा टेस तरमीम की फोटो प्रति, मौका फर्द की फोटो प्रति, तहसीलदार के आदेश से मौका देखा जाने की फोटो प्रति, सिविल न्यायालय में प्रस्तुत फर्द चार्जशीट की प्रमाणित प्रति, नक्शा मौका व मुआयना मौका की प्रमाणित प्रतिलिपी, फर्द चार्जशीट व मौका रिर्पोट की फोटो प्रति प्रस्तुत की है। तहसीलदार जालोर की मौका फर्द दिनांक 03.09.2016 पर अपीलांट उदा पुत्र भगा द्वारा उपस्थित होने के बावजूद हस्ताक्षर करने से मना करने का अंकन है। जिससे यह स्पष्ट है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट का सुनवाई का समुचित अवसर दिया जाकर जैर अपील निर्णय व डिक्री पारित की है। जो कि पूर्णतया विधिसम्मत है। अत अपील अपीलांट खारिज फरमाई जावे।

उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया तथा अधीनस्थ न्यायालय के रेकर्ड का अवलोकन किया। रेस्पोडेन्ट संख्या 01 द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष धारा 53 व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत दावा प्रस्तुत कर वादग्रस्त आराजी के संबध में बंटवाडे का अनुतोष चाहा, जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जैर अपील निर्णय व डिक्री पारित की गई है। हस्तगत प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री न्याय आपके द्वार लोक अदालत कैम्प में पारित की गई है। इस सम्बन्ध में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा आर0सी0आर0 (सिविल) 2006(4) पेज 947 सहित विभिन्न निर्णयों में यह सिद्धान्त प्रतिपादित किया कि Legal Services Authorities Act 1987, Section 20- Power of disposal of cases by Lok Adalat- No order can be passed by Lok Adalat if no compromise or settlement is or could be arrived at between parties" इसका विस्तृत विवेचन इस प्रकार किया है कि "The specific language used in sub-section of Section 20 makes it clear that the Lok adalat can dispose of a

राजस्व अपील प्राधिकारी पाली

matter by way of a compromise or settlement between the parties, Two crucial terms in sun-section (3) and (5) of Section 20 are "compromise" and "settelment"The former expression means settlement of differences by mutual concessions. it is an agreement reached by adjustment of conflicting or opposing claims by reciprocal modification of demands. As per Terms de la Ley, compromise is a mutual promise of two or more parties that are at controversy. As per Bouvier it is "an agreement between two or more persons, who to avoid a law suit, amicably settle their differences, on such terms as they can agree upon" The word "compromise" implies some element o accommodation on each side. it is not apt to describe total surrender. A compromise is always bilateral and means mutual adjustment. "Settelment"is a termination of legal proceedings by mutual consent. If no compromise or settlement is or could be arrived at, no order and be passed by the Lok Adalat" इसी प्रकार एस0बी0सिविल रिट याचिका संख्या 9194/2016 में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा निर्णय पारित करते हुए यह अभिमत प्रकट किया कि जब पक्षकारान् के मध्य राजीनामा अथवा सहमति नहीं हो, तो लोक अदालत के माध्यम से आदेश पारित किया जाना विधि सम्मत नहीं है। उक्त न्यायिक सिद्धान्तों से यह स्पष्ट है कि राजस्व लोक अदालत के माध्यम से निर्णय पारित करने हेतु दोनो पक्षों की उपस्थिति एवं उनमें राजीनामा होना आवश्यक है, बिना राजीनामे के लोक अदालत के तहत आदेश पारित किया जाना विधिसम्मत नहीं है। उक्त अभिनिर्णयों से हस्तगत प्रकरण पूर्णतया प्रभावित होते है। इसके अतिरिक्त राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88, 188 के तहत खातेदारी घोषित कराने एवं स्थाई व्यादेश जारी करने के प्रावधान है। इन नियमों के तहत जो कार्यवाही की जानी है, वह रेवेन्यू कोर्टस मेन्यूअल एवं सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 में प्रदत्त प्रक्रिया की पालना की जानी आज्ञापक है। इसके अनुसार वाद दायर होने के पश्चात प्रतिवादी को जरिये सम्मन तामील किया जाना, विधिवत तामील के पश्चात पक्षकारों की उपस्थिति/अनुपस्थिति के सम्बन्ध में विधिवत निर्णय लिया जाना। जवाबदावा/प्रतिदावा प्रस्तुत करना, तनकीयात कायम करते हुए उन पर संग्रहित साक्ष्यों पर तनकीयात विनिश्चय करने के पश्चात ही विधि सम्मत निर्णय पारित किया जाना आज्ञापक है। हस्तगत प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा बिना तनकीयात कायम करते हुए उन पर संग्रहित साक्ष्यों पर तनकीयात विनिश्चय किये प्रशासन गांवो के संग लोक अदालत कैम्प में विधि विरूद्ध रूप से कार्यवाही करते हुए जैर अपील आदेश पारित किया गया है, जो कि हाजा न्यायालय की राय में उचित प्रतीत नहीं होता है।

परिणाम स्वरूप अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत अपील स्वीकार की जाती है तथा सहायक कलक्टर जालोर द्वारा राजस्व वाद संख्या 44/2012 में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 29.06.2016 को अपास्त किया जाकर प्रकरण इन निर्देशों के साथ अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जाता है कि अपीलांट को साक्ष्य, सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करते हुए सिविल प्रक्रिया संहिता 1908, रेवेन्यू कोर्ट मैन्यूअल एवं राजस्थान काश्तकारी अधिनियम में विहित प्रक्रिया की पालना करते हुए नये सिरे से

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

विधि सम्मत निर्णय पारित करें। इस निर्णय की प्रमाणित प्रतिलिपी के साथ अधिनस्थ न्यायालय का रेकर्ड लौटाया जावे।

यह निर्णय आज दिनांक 29.03.2019 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

राजस्व अपील प्राधिकारी पाली

(आशाराम डूडी)
राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली
राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली